

2375

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन-विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Subj:- Diversion of 0.2482 hectare of additional forest land (1.5325 hectares of forest land already approved) in favour of M/s Bhavani Renewable Energy Pvt. Ltd, for the construction of Binva-IV, 5 MW SHPP, within the jurisdiction of Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1990 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-11PB046/2012 - CHA दिनांक 23-04-2013 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 0.2482 hectare of additional forest land (1.5325 hectares of forest land already approved) in favour of M/s Bhavani Renewable Energy Pvt. Ltd. for the construction of Binva-IV, 5 MW Small Hydro electric Project, within the jurisdiction of Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1. वन भूमि की वित्तिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. कम से कम 1000 bamboo sticks कटवाये जायेगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार तीन वृक्षों और 100 bamboo sticks से अधिक नहीं होगी।
3. प्रतिवृत्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPI-4 Baramulla Lahot E-7 में प्रस्ताव एजेंसी से प्राप्त रुपये 57,453/- (सत्तावन हजार चार सौ पचास मात्र) की राशि से कुल 0.50 हेक्टेयर निर्मीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिवृत्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिये।
4. The user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.
5. साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा कपाय / पूर्व ऊंचाई दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
6. सीमेंट कंक्रीट के सामग्री जिन पर आगे तथा पीछे दींग सारथी तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर मट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
7. प्रयोक्ता एजेंसी तथा वन विभाग द्वारा भूमि सुधार योजना कार्यान्वित की जायेगी। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित कार्य का उचित रूप से सुचारु रूप से किया गया है।
8. गलत का प्रयोग स्थानीय रूप से पुराना-दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड़कों का मरने / बलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पतली बलानों के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
10. यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
11. A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kangra.
12. उपरोक्त निर्माण में जो भी दृक्ष आयेगें उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।
13. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अन्तर्गत पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-IIPB046/2012 - CHA दिनांक 23-04-2013 में जारी सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग दि. 20 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated Shimla-171001 the 23-5-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kangra, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.
6. M/s Bhavnani renewable energy Private Limited, Regd. Office, Sungal Tea Estate, VPO Sungal, Tehsil Palampur, Distt. Kangra, HP.
7. CCF Palampur/DFO, Palampur Forest Division & Distt. Kangra H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

5/1/13

APCCF(FCA)

27/5/13

प्रमुख अंश दि. 20

पृष्ठ सं. 1000

दिनांक 28/5/13